

गैरयोजना

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-२/जी अजाविनि-०७/२०१२- ३६

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपनिदेशक(मु०)

-सह-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पटना बिहार।

पटना, दिनांक- २५.८.१६

विषय:-**वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि) को सहायक अनुदान-वेतन एवं वेतनादि के अलावा हेतु कुल ₹४००.०० लाख (चार करोड़) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि) को सहायक अनुदान-वेतन एवं वेतनादि के अलावा हेतु कुल ₹४००.०० लाख (चार करोड़) मात्र की व्यय की स्वीकृति पत्रांक-३४ दिनांक-२२.०८.२०१६ द्वारा दी गई है। तदनुसार सम्पूर्ण स्वीकृत राशि बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि) को सहायक अनुदान-वेतन एवं वेतनादि के अलावा हेतु कुल ₹४००.०० लाख (चार करोड़) मात्र आवंटित की जाती है।

२- गैर योजना मद में प्रस्तावित राशि "मुख्य शीर्ष-२२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष'०१-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-१९०-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकर्मों को सहायता-उप शीर्ष-०००१-बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम पटना-मांग सं०-४४-विषय शीर्ष-३१ ०४-सहायक अनुदान-वेतन-३१ ०६-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा विपत्र कोड-N2225011900001 के अन्तर्गत विकलनीय है।



उपरोक्त मद में वर्ष २०१६-१७ के लिए गैरयोजना मद में उदव्यय एवं बजट प्रावधान है।

क्रमांक	विषय शीर्ष	विवरण	वार्षिक व्यय विवरणी (राशि ₹० में)
१	३१०४	सहायक अनुदान-वेतन	₹३८७०००००
२	३१०६	सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	₹१३०००००

३- उक्त राशि के लिए निकासी पदाधिकारी, उपनिदेशक(मु०), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पटना बिहार होंगे। वे राशि की निकासी कर बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि), पटना के पी० एल० खाता सं०-२८३ में हस्तांतरित करेंगे। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि), पटना द्वारा नियमानुसार राशि का व्यय किया जाएगा।

४- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-२५६१ दिनांक-१७/४/९८ तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

५- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि), पटना द्वारा इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ३१.०३.२०१७ तक विभाग को उपलब्ध करा देंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6-महालेखाकार, बिहार, पटना को इस राशि के व्यय से सम्बन्धित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।

7- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिश्वासभाजन

Rel 23-8-16
(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-2/जी अजाविनि-07/2012- 36 पटना, दिनांक- 24-8-16
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/विशेष सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rel 23-8-16
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 2/जी अजाविनि-07/2012- 36 पटना, दिनांक- 24-8-16
प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rel 23-8-16
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 2/जी अजाविनि-07/2012- 36 पटना, दिनांक- 24-8-16
प्रतिलिपि - प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (अजाविनि), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rel 23-8-16
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 2/जी अजाविनि-07/2012- 36 पटना, दिनांक- 24-8-16
प्रतिलिपि - आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड एवं सभी संबंधित को ई-मेल करने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rel 23-8-16
सरकार के सचिव।